बंदियों को फरार कराने की प्लानिंग करने वाला आनंदीलाल गिरफ्तार

20 हजार में हुई थी डील, पैसा आनंदीलाल के बाद आगे कहां गया इस पर किया जा रहा काम,आनंदी उगलेगा कई राज

जयपुर, 28 मई (का.सं.)। जयपुर के लालकोठी थाना पुलिस ने जेल से बंदियों को फरार कराने की साजिश रचने और पैसा देने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया हैं। पुलिस ने जयपुर सेन्ट्रल में बंद कैदी आनन्दीलाल उर्फ नन्दलाल को जेल से और दो बंदियों को बाहर निकालने के लिए आनंदीलाल को पैसा देने वाले आलिम खान शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया जिन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया हैं। डीसीपी ईस्ट तेजस्वनी गौतम ने बताया कि चार बंदियों को एसएमएस अस्पताल जयपुर में रेफर करने में मदद करने वाले जेल में बंद कैदी आनन्दीलाल उर्फ नंदलाल को जेल से गिरफ्तार किया हैं। जयपुर जेल में बंद रफीक व भंवरलाल को एसएमएस में रेफर के बदले 20 हजार रुपए ऑन लाइन लिया गया। यह पैसा रफीक और भंवरलाल के परिवार से लेकर आलिम खान ने आनंदीलाल तक पहुंचाया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी हैं। रिमांड पर लिये गए आनंदीलाल और आलिम खान दोनों जेल के अंदर और बाहर व्यवस्था कराने का काम किया करते थे।

मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना में पशुपालकों को दिए 88.43 करोड़

जयपुर, 28 मई (का.सं.)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुग्ध उत्पादकों को 88.43 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की है। यह राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दी गई है। इस योजना के तहत सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों में दूध देने वालों को 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान मिलता है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने जानकारी दी कि यह राशि लगभग साढ़े चार लाख पशुपालक किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई है।

कंपनी के अकाउंट मैनेजर ने किया 2.37 करोड़ का गबन

रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर किए पैसे, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जयपुर, 28 मई (का.सं.)। जयपुर के सेज थाना पुलिस ने एक कंपनी के अकाउंट मैनेजर को 2 करोड़ 37 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कंपनी का पैसा अपने रिश्तेदारों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिया था।

डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि 26 मई को सत्यम पॉली प्लास्ट फर्म के पार्टनर आशीष अग्रवाल ने सेज थाने में रिपोर्ट दी। शिकायत में बताया कि फर्म के अकाउंट्स मैनेजर अजय कुमार शर्मा ने विश्वासघात करते हुए करीब 2.37 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। सीआई सेज उदयसिंह की जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए। पुलिस ने आरोपी अजय कुमार शर्मा उर्फ हेमराज शर्मा (34) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बंदावलो की ढाणी, ओमेक्स सिटी, बगरू खुर्द का रहने वाला है। जांच में सामने आया कि अजय कुमार लंबे समय से सत्यम पॉली प्लास्ट में अकाउंट्स मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसने कंपनी के खाते में आए पैसों को अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस पर कार्याशाला आयोजित

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

रामगढ़ (अलवर), 28 मई (का.सं.)। अन्तर्राष्ट्रीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस पर राज्य सरकार की काली बाई भील उड़ान योजना के अन्तर्गत बुधवार को रामगढ़ के ढाढोली मिनी सचिवालय में ब्लॉक स्तरीय माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कार्यशाला एवं एनीमिया पर जागरुकता हेतु कार्यशाला का आयोजन महिला अधिकारिता विभाग अलवर द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग एवं समेकित बाल विकास विभाग के समन्वय से किया गया। अतिथियों के आदर सत्कार के प्रारंभ के साथ कार्यालशा शुरु की गई जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा कार्यशाला के मुख्य संभागी महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को एनिमिया के बारे में गया। इसके कारण शरीर पर इसके प्रभावों एवं इसके सामान्य लक्षणों की जानकारी दी गई। साथ ही एनीमिया के उपचार और रोकथाम हेतु आयरन युक्त आहार जैसे हरि पत्तेदार सब्जियों, तिरंगा थाली, आयरन एवं फोलिक एसिड टेब्लेट्स आदि के बारे में बताया, साथ ही महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु भी समझाया गया। उक्त कार्यशाला के बाद माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यशाला प्रारम्भ की गई जिसमें महामारी आने के बाद किशोरी बालिकाओं के शरीर में होने वाले बदलावों, माहवारी एवं माहवारी चक्र, गर्भावस्था, माहवारी के समय रखी जाने वाली स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल खानपान, माहवारी से जुड़े सामाजिक मिथकों आदि पर विस्तार से समझाया गया।

उक्त कार्यशाला में राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना काली बाई भील उड़ान योजना के बारे में महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को समझाया गया कि इस योजना के अंतर्गत अनेक महिला एवं किशोरी बालिकों जो भी 11 से 45 वर्ष की है उन्हे प्रतिमाह दो सेनेटरी नैपकिन पैकेटों का वितरण निशुल्क किया जाता है, जिन्हे वे आंगनबाड़ी केन्द्रों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजो, मदरसों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कार्यशाला में सैनेटरी पेड्स के उपयोग एवं इसके निस्तारण की भी जानकारी दी गई; साथ ही माहवारी के दिनों में स्वच्छता रखने एवं स्वस्थ खान-पान के बारे में भी समझाया गया। कार्यशाला के अंत में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित लघु फिल्म की स्क्रीनिंग भी संभागियों एवं अतिथियों के सम्मुख की गई। उक्त कार्यशालायों में मुख्य भूमिका में संवाद एवं वितरण कार्यक्रम रहे। उक्त कार्यशालाओं में किशोरी बालिकाओं को हाइजीन किटों का वितरण किया गया; साथ ही माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर आधारित बुकलेटों का भी वितरण किया गया।

उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विषय विशेषज्ञों के रूप में सीडीपीओ श्रीमती नीलिमा पाठक, वीडीयो कोमल शर्मा, सरपंच संतरा देवी, सी एच ओ सुनील जी, लोक पर्यवेक्षक वंदना मित्तल, शिल्पा रानी, गीता महावर, पूनम शर्मा आशा रानी, तारामणी शर्मा, ग्रेटी कुमारी, एएनएम कृष्णा, मेडीकल ओफिसर संजना जांगिड, साथिन कार्यकर्ता सहायिका, आशा सहयोगिनी आदि उपस्थित रहे। उक्त कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य माहवारी विषय पर चुप्प तोड़ने हेतु समाज को एकजुट करना रहा।

केरल ने जहाज दुर्घटना के बाद प्लास्टिक के दानों की सफाई के लिए स्वयंसेवकों तैनात किये

तिरुवनंतपुरम, 28 मई (वेब वार्ता)। केरल तट पर एक मालवाहक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किनारे पर बहकर आए प्लास्टिक के दानों को साफ करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर एक सफाई अभियान शुरू किया है।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद बुधवार को कहा कि दानों को हटाने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण के आधार पर तट के किनारे हर 100 मीटर पर स्वयंसेवक तैनात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस, अग्निशमन सेवा और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं। स्वयंसेवकों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है और पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी खतरा न हो। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में कहा कि सरकार की शीर्ष प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और मत्स्य उद्योग की रक्षा करना हैं।

बयान में कहा गया है कि तटीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और मछुआरा समुदायों को पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे तट पर आने वाली असामान्य वस्तुओं या कंटेनर से कैसे निपटें। सीएमओ ने बताया कि इसके अलावा दुर्घटनाग्रस्त जहाज के मलबे वाले स्थान के आसपास 20 समुद्री मील के दायरे में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बयान के मुताबिक, ''प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेतृत्व में त्वरित प्रतिक्रिया दल, तट तक पहुंचने वाले किसी भी तेल रिसाव से निपटने के लिए तैयार हैं। तेल को फैलने से रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की गई है, और नदियों के मुहानों के रास्ते तेल को नदियों तक पहुंचने से रोकने की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है।'' विजयन के निर्देश पर बुलाई गई विशेषज्ञों की बैठक में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हुए, जिनमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपने काम के लिए दुनिया भर में प्रख्यात डॉ. मुरली थुम्मारुकुडी भी शामिल थे। केरल के आपदा प्रतिक्रिया और पर्यावरण विभागों के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। विशेषज्ञों में विश्व समुद्री विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ. ओलोफ लिंडेन, पर्यावरण अर्थशास्त्री शांताकुमार, पेट्रोलियम रसायन विश्लेषक डॉ. बाबू पिल्लै और तटीय अपशिष्ट विशेषज्ञ माइक कोविंग शामिल थे।

जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने से संबंधित बातचीत जारी हैः उमर अब्दुल्ला

गुलमर्ग, 28 मई (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर बातचीत रुकी नहीं है। उमर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठाया था।

क्या पहलगाम आतंकवादी हमले से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने से जुड़ी बातचीत प्रभावित हुई है? इस सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर से 52 किलोमीटर दूर पर्यटन केंद्र गुलमर्ग में संवाददाताओं से कहा, ''नहीं, बिलकुल नहीं। अगर आप नीति आयोग की बैठक में दिया गया औपचारिक भाषण देखेंगे, तो आपको उसमें राज्य का दर्जा वापस करने का स्पष्ट उल्लेख मिलेगाज।''

उन्होंने कहा, ''इसलिए, राज्य के दर्जे को लेकर बातचीत रुकी नहीं है। एकमात्र चीज जो मैं करने के लिए तैयार नहीं था, वह थी (जम्मू कश्मीर) विधानसभा के विशेष सत्र का इस्तेमाल राज्य के दर्जे के बारे में बात करने के लिए करना। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि बातचीत रुक गई है। बातचीत जारी है।''

राम जन्मभूमि परिसर के आठ नए मंदिरों में तीन से पांच जून तक होगी प्राण प्रतिष्ठा: चंपत राय

पूर्व संध्या पर सरयू जल कलश यात्रा से होगा तीन दिवसीय समारोह का श्रीगणेश

अयोध्या, 28 मई (वेब वार्ता)। श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर परिसर के आठ देवालयों में एक साथ अनुष्ठान पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा होगी। समय और पूजन में एकरूपता के लिए सभी नये मन्दिर दृश्य माध्यम (कैमरा व स्क्रीन) से आपस में जुड़े रहेंगे। इसकी पूर्व संध्या पर (दो जून को) सरयू तट से जल कलश यात्रा निकाली जाएगी। बुधवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चम्पत राय ने पत्रकारों को बताया कि कलश यात्रा के अगले दिन त्रिदिवसीय आयोजन ज्येष्ठ शुक्ल की अष्टमी (तीन जून) से प्रारम्भ होकर दशमी (पांच जून) को पूजा, भोग, आरती के साथ परिपूर्ण होगा। अनुष्ठान तीनों दिन प्रात: साढ़े छह बजे प्रारम्भ होगा।

परकोटा के ईशान कोण पर शिवलिंग, अग्निकोण में प्रथम पूज्य श्री गणेश, दक्षिणी भुजा के मध्य में महाबली हनुमान, नैऋत्य कोण में प्रत्यक्ष देवता सूर्य, वायव्य कोण में मां भगवती , उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इसके साथ ही मुख्य मन्दिर में प्रथम तल पर श्रीराम दरबार तथा परकोटा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में शेषावतार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ट्रस्ट महामंत्री के अनुसार तीन व चार जून को पूजन विधि प्रात: साढ़े छह बजे से प्रारम्भ होकर सायंकाल इसी समय तक पूर्ण होगी। ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी (पांच जून) को पूजन प्रात: साढ़े छह बजे प्रारम्भ होकर 11.20 तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा दिन में 11.25 से होगी। इसके पश्चात पूजा, भोग एवं आरती होगी। सभी कार्यक्रम दोपहर एक बजे तक पूर्ण हो जाएंगे। खास बात यह है कि उक्त सभी मन्दिरों में एक संग प्राण प्रतिष्ठा होगी। सरयू जल कलश यात्रा द्वितीय बेला में चार बजे पुराने पुल के पूर्वी तट से प्रारम्भ होकर वीणा चौक , राम पथ, श्रृंगार हाट, हनुमान गढ़ी, दशरथ महल, रामकोट व रंगमहल बैरियर होते हुए यज्ञशाला पहुंचेगी। उल्लेखनीय है कि सभी मन्दिरों में पूजन अनुष्ठान एक साथ होंगे तथा कैमरे एवं स्क्रीन के माध्यम से इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा ताकि पूजन विधि में एकरूपता बनी रहे। तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री ने बताया कि पूजन विधि काशी के विद्वान जय प्रकाश सम्पन्न कराएंगे।

थरूर को भाजपा का मुख्य प्रवक्ता घोषित कर देना चाहिए: उदित राज

नई दिल्ली, 28 मई (वेब वार्ता)। कांग्रेस नेता उदित राज ने अपनी पार्टी के सांसद शशि थरूर के एक ताजा बयान को लेकर बुधवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुख्य प्रवक्ता घोषित कर देना चाहिए।

पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष की पृष्ठभूमि में भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश गए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थरूर ने पनामा में कहा कि हाल के वर्षों में जो बदलाव आया है वह यह है कि आतंकवादियों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा को पार किया। थरूर के बयान को लेकर उदित राज ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''प्रिय शशि थरूर, अफसोस! मैं प्रधानमंत्री मोदी से इसकी पहल कर सकता हूं कि वह आपको भाजपा का मुख्य प्रवक्ता घोषित कर दें, यहां तक कि भारत लौटने से पहले आपको विदेश मंत्री भी घोषित कर दें।''

उन्होंने कहा, ''आप यह कहकर कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को कैसे बदनाम कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले भारत ने कभी भी नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। 1965 में भारतीय सेना ने कई स्थानों पर पाकिस्तान में प्रवेश किया, जिसने लाहौर सेक्टर में पाकिस्तानियों को पूरी तरह से चौंका दिया।'' पोस्ट में उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 1971 में भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान कई 'सर्जिकल स्ट्राइक' की गईं, लेकिन इसको राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए ढोल नहीं पीटा गया। उदित राज ने कहा, ''जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया उसके प्रति आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं?''

लखनऊ: बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार

लखनऊ, 28 मई (वेब वार्ता)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची से दुष्कर्म के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। मामला लखनऊ के मदेयगंज बंधा रोड का है। जानकारी के अनुसार, आरोपी कमल किशोर उर्फ भदर ने 27 मई की रात करीब 2:00 बजे मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना अंजाम दिया था। इसके बाद मदेयगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 27 मई की रात को मुकदमा दर्ज किया। साथ ही मदेयगंज पुलिस ने मासूम बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

इसके साथ ही एसीपी महानगर नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में मदेयगंज थाना प्रभारी राजेश सिंह की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान पुलिस को आरोपी के बंधा रोड स्थित रघुवंशी ढाल के पास होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार कमल किशोर को रोकने का इशारा किया, लेकिन वह पुलिस को देख भागने लगा और उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें कमल किशोर के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल अवस्था में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कमल किशोर नाम के एक शख्स को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है।

सशस्त्र बलों में संयुक्तता बढ़ावा देने के लिए नियम अधिसूचित किए गए

नई दिल्ली, 28 मई (वेब वार्ता)। केंद्र सरकार ने इंटर-सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत बनाए गए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 27 मई 2025 से प्रभाव में आ गए हैं। इस अहम कदम का उद्देश्य सशस्त्र बलों के विभिन्न अंगों (थलसेना, वायुसेना व नौसेना) के बीच बेहतर तालमेल, कमांड दक्षता और अनुशासन को सुनिश्चित करना है।

इससे तीनों सैन्य बलों थलसेना, वायुसेना व नौसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथ ही तीनों सैन्य बल अधिक कुशलता से विभिन्न ऑपरेशन को अंजाम देंगे। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सशस्त्र बलों के बीच बेहतरीन समन्वय देखने को मिला था।

DMI HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED ("COMPANY")
(U65923DL2011PTC216373; Registered Office:
Express Building, 3rd Floor, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110002; T: +91 11 41204444;
F: +91 11 41204000; **email:** dmi@dmihousinhgfinance.in)

सार्वजनिक नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से ग्राहकों को यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के प्रबंधन ने निम्नलिखित शाखा को स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है:

डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड aका नाम, पता और संपर्क विवरण	**डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड,** 6-7, चौथी मंजिल, सांघी उपासना टॉवर, सुभाष मार्ग, अहिंसा सर्कल के पास, सी-स्कीम जयपुर - 302001 (kuljeet.singh@dmihousingfinance.in) (श्री कुलजीत सिंह, +91 9784599956),
बंद होने की तिथि	31.08.2025

यह स्पष्ट किया जाता है कि शाखा को स्थानांतरण करने की प्रक्रिया के दौरान कंपनी के ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए कंपनी सभी उचित सावधानियाँ बरत रही है । सभी मान्यवर ग्राहकों के ऋण खातेनए शाखा (अर्थात "टावर नंबर 74-75 और 89-90, अंबाबाड़ी शॉपिंग सेंटर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, अंबाबाड़ी, जयपुर, पिन 302023, राजस्थान") में जारी रहेंगे। ऋण खाता रखने वाले ग्राहक अपने खाते को हमारी कंपनी की किसी भी अन्य शाखा में स्थानांतरित कर सकते हैं, बशर्ते इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो। प्रासंगिक आवेदन पत्र शाखा में उपलब्ध है। ग्राहकों से एतदद्वारा अनुरोध किया जाता है कि कृपया उपरोक्त परिवर्तन पर ध्यान दें जो 31.08.2025 से प्रभावी होगा।

किसी भी स्पष्टीकरण या कठिनाई के मामले में, ग्राहक डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी (श्री कुलजीत सिंह, +91 9784599956) से संपर्क कर सकते हैं|

स्थान : जयपुर
दिनांक: 28 मई 2025

कार्यालय, अधीक्षण अभियंता पदेन परियोजना प्रबन्धक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर जिला - कोटपूतली - बहरोड

E-mail:-sewdsc.kot.behror@rajasthan.gov.in

क्रमांक: -375-87 दिनांक: 22-5-2025

ई-निविदा सूचना संख्या-02 / 2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना 2.0 के अर्न्तगत जिला कोटपूतली - बहरोड के 01 ब्लॉक मे चारागाह निर्माण कार्य तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 अन्तर्गत 01 ब्लॉक में रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, एनिकट रिनोवेशन, एनिकट, जोहड आदि कार्य के अंतर्गत करवाए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्य हेतु जिला कोटपूतली - बहरोड में स्वीकृत कार्यो हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसरण में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई क्षेत्र विकास एवं केन्द्रीय सरकार के अभियांत्रिकी विभाग में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदको जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न सक्षम श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया द्वारा दिनांक - 23.05.2025 से 01.06.2025 सांय 06.00 बजे तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। दिनांक 02.06.2025 को प्रात: 11 बजे खोली जाएगी। निविदा का विस्तृत विवरण **"https://eproc.rajasthan.gov.in "https://sppp.rajasthan.gov.in" "www.watershed.gov.in"** पर देखा जा सकता है।

NIB code: WSC2526A0157
UBN no.: 1. WSC2526WSOB00272 2. WSC2526WSOB00273

(हरिमोहन बैरवा)
अधीक्षण अभियन्ता पदेन
DIPR/C/6565/2025 परियोजना प्रबन्धक (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) कोटपूतली-बहरोड़

Muthoot Homefin

मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट नंबर 19-एनई, 19वीं मंजिल, द रूबी, सेनापति बापट मार्ग, रूपारेल कॉलेज के पास, दादर (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र - 400 028

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पढ़ें।
अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड (एमएचआईएल) का अधिकृत अधिकारी है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित का आह्वान किया गया है- उधारकर्ता/ओं (''उक्त उधारकर्ता'') को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लेखित राशि चुकानी होगी जो नीचे दी गई है।
उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर एमएचआईएल को नीचे बताई गई राशि 2% प्रति माह की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ भुगतान करे। जैसा कि उक्त डिमांड नोटिस में बताया गया है, नीचे उल्लेखित तारीखों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तारीख तक, उक्त उधारकर्ताओं द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हो, के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय है। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ताओं द्वारा एमएच आईएल को गिरवी रखा गया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं)/ सह-उधारकर्ता/गारंटर/का नाम ऋण खाता संख्या/शाखा	कुल असाधारण बकाया (रुपये)	माँग सूचना की तारीख	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	रामस्वरूप/भरोसी बाई/ लाल चंद/ 015-01500418/ कोटा	रुपये 3,14,319/- तीन लाख चौदह हजार तीन सौ उन्नीस रूपये मात्र।	20-मई-2025	पट्टा संख्या 05713, खसरा संख्या 182, ग्राम कलमंडीकला, ग्राम पंचायत कलमंडीकला, पंचायत समिति- झालरापाटन जिला - झालावाड़, राजस्थान-326023। माप क्षेत्र 1152 वर्ग फीट, संपत्ति की सीमाएं- उत्तर- आम रास्ता, दक्षिण- परमानंद/देवीलाल का घर, पूर्व- खुली भूमि, पश्चिम- मांगी लाल गुर्जर पुत्र नंदा गुर्जर का घर
2.	प्रियांशु शर्मा/ किरण/ भाविन शर्मा/ **JAI-NHL-**003794/ **JAI-HL-**003787/ जयपुर	रुपये 6,63,671/- छह लाख तिरसठ हजार छह सौ इकहत्तर रूपये मात्र। और रुपये 21,73,966/- इक्कीस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ छियासठ रूपये मात्र।	20-मई-2025	प्लॉट नंबर सी-16, फ्लैट नंबर एफ-1, पहली मंजिल, स्कीम आम्रपाली नगर, ग्राम-धवास, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान- 302021, क्षेत्रफल 1100 वर्ग फीट।

यदि उक्त उधारकर्ता उपरोक्तानुसार एमएचआईएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो एमएचआईएल उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत कार्रवाई करेगा, लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर होगा।
अधिनियम के तहत उक्त उधारकर्ताओं को एम एचआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा उपरोक्त संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांक : 29 मई, 2025 **एसडी/- अधिकृत अधिकारी**
स्थान : झालावाड़, जयपुर **मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड**

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -IV-ए - ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी-बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित)
रजि. कार्यालयः- 91वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन:-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबः-**www.pnbhousing.com**
बी.ओ. भिवाड़ीः ए-10, प्रथम तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, भिवाड़ी- 301 019, राजस्थान

एतद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जैसा कि कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) डब्ल्यूएस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार ''जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है के आधार पर'' बेचा जाएगा। एतद्वारा उधारकर्ता/बंधककर्ता/कानूनी वारिस, कानूनी प्रतिनिधि (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी, संबंधित उधारकर्ता/बंधककर्ता (अब मृत) के समनुदेशिती को नोटिस दिया जाता है, जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया डब्ल्यूएस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियाँ का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी)(ई)	ईएमडी (10% का आरपी)(एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मानसिक दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय(आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	एनोउन एनकम ब्रेंस कोर्ट केस, यदि कोई हो (के)
एचओयू/बीएचआई/0120/768495 मनोज करहाना, कृपा देवी, बी.ओ. : भिवाड़ी	16,44,117.33/- 14-11-23 तक देय	**भौतिक कब्जा**	8/225, जीएफ, एमआईजी-ए 8/225, अरावली विहार (भिवाड़ी), अरावली विहार आरएचबी, भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-301019	**रु. 1,310, 000**	**रु. 131, 000**	16.06.25	**रु. 10,000**	05-06-2025, सुबह 10.00 बजे - शाम 5.30 बजे	17-06-2025, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.00 बजे	ज्ञात नहीं है

***18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।**
1. आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है। 2. संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। 3. कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। **(4.) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - www.bankeauctions.com संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको रवि कुमार टोल फ्री नंबर -1800120 8800, ई-मेल: auction@pnbhousing.com के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या www.pnbhousing.com देखें।**
स्थान:- भिवाड़ी दिनांक:- 29.05.2025 एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आँशिंक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08